230

उत्तराखण्ड शासन
समाज कल्याण अनुभाग–2
संख्या 1407 / XVII–2 / 2011–10(01) / 2009
देहरादून दिनांक 15 दिसम्बर, 2011

परित्यक्ता विवाहित महिला,मानसिक रुप से विकृत व्यक्तियों की पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु भरण पोषण अनुदान योजना की नियमावली वर्ष 2011

1. **संक्षिप्त नामः**

इस नियमावली का नाम "परित्यक्ता विवाहित महिला, मानसिक रुप से विकृत व्यक्तियों की पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु भरण पोषण अनुदान योजना की नियमावली वर्ष 2011" होगा।

2. **उद्देश्य / प्रयोजनः–**

उत्तराखण्ड में निवास करने वाली परित्यक्त विवाहित महिला, मानसिक रुप से विक्षिप्त व्यक्तियों की पत्नी एंव निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु भरण–पोषण अनुदान व्यक्तिगत रुप से मासिक सहायता उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है

3. **परिभाषाः–**

निराश्रित परित्यक्ता महिला की श्रेणी में ऐसी विवाहित महिलाओं को सम्मिलित किया जायेगा जिन्हें शादी के उपरान्त 07 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो गया हो और पति लापता हो गया हो अथवा पति के द्वारा परित्याग कर दिया गया हो तथा उसके भरण–पोषण हेतु निर्वाह भत्ता स्वयं अथवा न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रदान नहीं किया जा रहा हो, परित्यक्ता महिला ससुराल अथवा अपने पैतृक ग्राम में से किसी भी स्थान पर निवास कर रही हो पर विचार किया जायेगा। ऐसी महिलाऐं जिनके पति मानसिक रुप से विक्षिप्त होने के कारण कोई काम काज करने में असमर्थ हों तथा अपने परिवार का भरण–पोषण में अक्षम हो चुके हों । ऐसी महिला जो किसी भी सामाजिक अथवा आर्थिक परिस्थितियो वश या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष शारीरिक अक्षमता (किन्तु विकलांगता की श्रेणी में न आ पा रही हो) के कारण शादी से वंचित रह गयी 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को निराश्रित अविवाहित की श्रेणी में रखा जायेगा।

4. पात्रताः–

(क) परित्यक्ता विवाहित महिलाः

1 महिला की उम्र 35 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम हो किन्तु शादी के बाद पति द्वारा छोड़े जाने का कम से कम 7 वर्ष का समय व्यतीत हो गया हो।

2. पति के लापता होने पर लापता अवधि भी 7 वर्ष से अधिक की होनी चाहिए एवं पति के लापता की पुष्टि तहसीलदार/उप जिलाधिकारी के स्तर से की जानी चाहिए।

3. स्वयं बी0पी0एल0 श्रेणी में हो चयनित हो अथवा ग्रामीण क्षेत्र में रु0 15976/–तथा शहरी क्षेत्र में रु0 21206/– वार्षिक आय से अधिक नही हो ।

4. यदि ऐसी महिला के सन्तान है तो उनकी उम्र 20 वर्ष से कम हो, यदि 20 वर्ष से अधिक उम्र होने पर ऐसे पुत्र अथवा पुत्री स्वयं भी बी0पी0एल0 श्रेणी में आते हो उनका अथवा पूरे परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रु0 15976/–तथा शहरी क्षेत्र में रु0 21206/– वार्षिक आय से अधिक नही हो।

5. यदि भरण–पोषण अनुदान स्वीकृति उपरान्त लापता पति वापस आता है तो अनुदान सुविधा समाप्त कर दी जायेगी। विवाहिता की सन्तान यदि भविष्य में बी0 पी0 एल0 श्रेणी में नही रह जाते है एवं उनकी वार्षिक आय निर्घारित आय से वृद्धि हो जाती है तो भरण–पोषण की सुविधा बन्द कर दी जायेगी।

6. ऐसी महिला यदि 60 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेती है एवं तत्समय वह वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्रता में आती है तो उसे वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की जायेगी एवं यह सुविधा समाप्त कर दी जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि जब तक संबंधित महिला को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत/ भुगतान नही होती तब तक उसे इस योजना से पेंशन जारी रखी जायेगी।

(ख) मानसिक रुप से विक्षिप्त व्यक्ति की पत्नी को भरण–पोषण अनुदान की पात्रताः–

1. उम्र 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष तक हो।

2. स्वयं बी0पी0एल0 श्रेणी में हो चयनित हो अथवा ग्रामीण क्षेत्र में रु015976.00 तथा शहरी क्षेत्र में रु0 21206.00 वार्षिक आय से अधिक नही हो यदि सम्बन्धित महिला का परिवार बी0पी0एल0 श्रेणी में आता हो अथवा उनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रु0 15976.00 तथा शहरी क्षेत्र में रु0 21206.00 से अधिक नहीं हो ।

3. ऐसी महिलाए जिनके पति मानसिक रुप से विक्षिप्त हों और मानसिक विक्षिप्तता के कारण उनके द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण नहीं किया जा रहा हों।

4 यदि भरण–पोषण अनुदान स्वीकृत होने के उपरान्त महिला का पति उपचार के बाद अपने परिवार का भरण–पोषण करने में सक्षम हो जाता है, तो अनुदान की सुविधा को समाप्त कर दिया जायेगा।

5 ऐसी महिला यदि 60 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेती है एवं तत्समय वह वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्रता में आती है तो उसे वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की जायेगी एवं यह सुविधा समाप्त कर दी जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि जब तक संबंधित महिला को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत/भुगतान नही होती तब तक उसे इस योजना से पेंशन जारी रखी जायेगी।

6 सरकारी चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी द्वारा संबंधित महिला के पति को मानसिक रुप से विक्षिप्त होने की स्थिति को अंकित करते हुए धनोपार्जन हेतु अक्षमता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हों।

(ग) अविवाहित महिला हेतु भरण–पोषण अनुदान की पात्रताः–

1. उम्र 40 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष तक हो।

2 स्वयं बी0पी0एल0 श्रेणी में हो चयनित हो अथवा ग्रामीण क्षेत्र में रु. 15976/–तथा शहरी क्षेत्र में रु. 21206/–वार्षिक आय से अधिक नही हो यदि माता–पिता पर आश्रित है तो माता–पिता बी0पी0एल0 श्रेणी में आते हो अथवा उनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रु.15976 तथा शहरी क्षेत्र में रु. 21206/– से अधिक नही हो।

3 यदि भरण–पोषण अनुदान स्वीकृत होने के उपरान्त महिला द्वारा शादी की जाती है तो अनुदान सुविधा को समाप्त कर दिया जायेगा।

4. ऐसी महिला यदि 60 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेती है एवं तत्समय वह वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्रता में आती है तो उसे वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की जायेगी एवं यह सुविधा समाप्त कर दी जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि जब तक संबंधित महिला को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत/भुगतान नही होती तब तक उसे इस योजना से पेंशन जारी रखी जावेगी।

5. **स्वीकृतिः–**

निराश्रित परित्यक्ता विवाहिता महिला ,मानसिक विक्षिप्त व्यक्तियों की पत्नी एवं अविवाहित महिला भरण–पोषण अनुदान की स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा की जायेगी जबकि नगरीय क्षेत्र में स्वीकृति का अधिकार उप जिलाधिकारी अथवा नगर मजिस्ट्रेट मे निहित होगा।

6. **प्रक्रिया :–**

ग्रामीण क्षेत्र में पात्र महिलाओं का चयन ग्राम सभा के द्वारा किया जायेगा। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के चयन के उपरान्त प्रस्ताव पारित कर निर्धारित आवेदन पत्र भर कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान करेंगे। आवेदन पत्र के साथ निम्न पत्राजात/प्रमाण–पत्र संलग्न किये जायेगें।

1 फोटो निर्धारित स्थान पर चस्पा कर।

2 परिवार रजिस्टर की नकल।

3 बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र (खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रदत्त)बी0पी0एल0 चयनित परिवार में न होने की स्थिति में तहसीलदार द्वारा दिया गया वार्षिक आय प्रमाण–पत्र।

4 परित्यक्ता महिला के मामले में शादी की अवधि 7 वर्ष से अधिक हो जाने तथा पति के 7 वर्ष से अधिक समय से लापता होने की पुष्टि तहसीलदार/उपजिलाधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

5. सरकारी चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी द्वारा जारी मानसिक विक्षिप्तता का प्रमाण–पत्र शहरी क्षेत्र में निवास, उम्र आदि की पुष्टि नगर पंचायत/नगरपालिका/नगर निगम कार्यालय द्वारा की जायेगी। जबकि मासिक आय की पुष्टि तहसीलदार द्वारा की जायेगी। शादी की अवधि 7 वर्ष

से अधिक होने तथा लापता पति की अवधि 7 वर्ष से अधिक होने की पुष्टि भी उप जिलाधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी।

7. **अनुदान की राशिः—**

उपरोक्त तीनों श्रेणी की पात्र महिलाओं को रु0 400.00 प्रतिमाह की दर से भरण—पोषण अनुदान प्रदान किया जावेगा।

8. **भुगतान प्रक्रियाः—**

ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र से स्वीकृत आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को प्रेषित किये जायेंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में इन आवेदन पत्रों को ऑनलाइन दर्ज किया जायेगा। सूची ग्रामवार, विकास खण्डवार एवं नगरवार तैयार की जायेगी। शासन से प्राप्त धनराशि को समाज कल्याण विभाग द्वारा लाभार्थी के बैंक खाते अथवा डाकघर में खोले गये खाते में छमाही किस्तों में प्रेषित किया जायेगा जिसकी सूची सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी नगर अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

9. **सत्यापन, मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं निरस्तीकरणः—**

इस योजना के लाभार्थियों के जीवित होने अथवा योजना के लिए पात्रता अथवा अपात्रता की पुष्टि हेतु प्रत्येक छमाही में समाज कल्याण विभाग द्वारा खण्ड विकास अधिकारी एवं तहसील के माध्यम से सत्यापन की जायेगी। सत्यापन के फलस्वरूप जिनकी पात्रता समाप्त हो जाती है उनके भरण—पोषण अनुदान की सुविधा को निरस्त कर दिया जायेगा। चूंकि जिला समाज कल्याण अधिकारी इस योजना के संचालन हेतु उत्तरदायी है। इसलिए ग्राम पंचायत अथवा शहरी क्षेत्र से प्राप्त स्वीकृत आवेदन पत्रों के परीक्षण का अधिकार जिला समाज कल्याण अधिकारी पर निहित होगा। इस प्रकार किसी भी कारणवश गलत स्वीकृत आवेदन पत्र अथवा छमाही सत्यापन के बाद अपात्र पाये गये आवेदकों के भरण—पोषण अनुदान को निरस्त करने का अधिकार भी जिला समाज कल्याण अधिकारी पर निहित होगा। आवेदन पत्र की पर्याप्त प्रतियॉ जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा विकास खण्ड के माध्यम से ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जायेगा। आवेदन पत्र को विभाग की वेबसाइट में भी परिचालित किया जायेगा ताकि सीधे वेबसाइट से डाउनलोड करते हुए लाभार्थी आवेदन कर सके अथवा सादे कागज पर स्वच्छ

अक्षरों में लिखित आवेदन पत्र भी मान्य होगा। शहरी क्षेत्र के लिए आवेदन पत्र अधिशासी अधिकारी नगर के कार्यालय, विकास खण्ड मुख्यालय अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी से प्राप्त किये जा सकते है।

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त।
समाज कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

उत्तराखण्ड शासन
समाज कल्याण अनुभाग–2
संख्या/1407/XVII–2/2011–10(01)/2009
देहरादून दिनांक/5 दिसम्बर, 2011

उपरोक्त की प्रति निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. उत्तराखण्ड सचिवालय, के समस्त अनुभाग।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय, परिसर देहरादून।
10. महानिदेशक, सूचना को इस आशय के साथ प्रेषित कि उत्तराखण्ड राज्य में निवास करने वाली परित्यक्त विवाहित महिला, निराश्रित महिला, मानसिक रूप से विकृत व्यक्तियों की पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं को भरण–पोषण अनुदान/पेंशन प्रदान किये जाने विषयक नियमावली–2011 की जानकारी आम जनता को उपलब्ध कराये जाने हेतु इसका प्रकाशन दो राष्ट्रीय सामाचार पत्रों तथा शासकीय वेब–साईट के माध्यम से कराने का कष्ट करें।
11. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की, हरिद्वार को उक्त नियमावली–2011 की हिन्दी प्रति संलग्न करते हुये इस निर्देश के साथ कि प्रेषित की इसे असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–ख में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां समाज कल्याण अनुभाग–2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त।